

प्रेषक,

डॉ० रेखा झा,
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।

सेवामें,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना, दि०-28/09/2026

विषय:- विज्ञापन संख्या-22/2025 के अंतर्गत नवनियुक्त फार्मासिस्टों के संबंध में।
प्रसंग :- विभागीय आदेश संख्या-207(4ए), दिनांक-02.07.2026.
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या-22/2025 के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश सं०-207(4ए) दिनांक-02.07.2026 द्वारा फार्मासिस्टों को नियुक्त करते हुए राज्य के सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित किया गया है।

2. उक्त आदेश की कंडिका-8 के अनुसार आदेश निर्गत है कि संबंधित अधीक्षक/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे अपने संस्थान/जिले में योगदान करने वाले नवनियुक्त एवं पदस्थापित फार्मासिस्टों से उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे तथा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही उनके सभी शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का संधारण करेंगे तथा उक्त प्रमाण पत्रों का संबंधित निर्गत संस्थान से जॉच एवं सत्यापन कराकर विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। स्वास्थ्य विभाग से उक्त अभ्यर्थियों का डोजियर उपलब्ध कराए जाने पर उनके प्रमाण पत्रों का मिलान/जॉच किया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।

3. विदित हो कि विभागीय पत्रांक-312(4ए) दिनांक-03.09.2026 द्वारा डोजियर उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु कंडिका-2 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किये बिना तथा बिना नियुक्ति आदेश की संपुष्टि के HRMS On Boarding हेतु आवेदन निदेशालय को प्राप्त हो रहे हैं।

4. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

(i) सभी अधीक्षक/सिविल सर्जन अपने संस्थान/जिलान्तर्गत योगदान किये गये फार्मासिस्टों की समेकित विवरणी प्रेषित करते हुए नियुक्ति आदेश की संपुष्टि हेतु प्रस्ताव दिनांक-30.09.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

(ii) सभी अधीक्षक/सिविल सर्जन नवनियुक्त फार्मासिस्ट का HRMS On Boarding हेतु आवेदन अग्रसारित करते समय स्पष्ट सूचना अंकित करेंगे कि संबंधित कर्मी का शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का उनके निर्गत संस्थान से जाँच एवं सत्यापन प्राप्त हो चुका है, जिसमें प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है। जिनका प्रतिवेदन अप्राप्त हो, उनके मामले में लंबित होने के संबंध में सूचना प्रेषित किया जाय। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल में पदस्थापित नवनियुक्त फार्मासिस्ट का आवेदन अनिवार्य रूप से संबंधित जिला के सिविल सर्जन के माध्यम से ही निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। HRMS On Boarding हेतु अग्रसारित आवेदन दिनांक-09.10.2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक प्रमुख

(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-4ए/फार्मा0-14-44/2026-365(4A)/स्वा०, दिनांक-28/09/2026

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।